औ० स० रजि० 2001/14
11/5/14

~~AN~~WAR KHAN

RTI-Activist, Cheif Counseling Oficer

NIB / Post Box No. 11658, Post Office Puspa Bhawan,

New Delhi-110062

3 PO-20/2

RTI community against corruption

Legal Counseling service. Fight for corruption, Women & Child Violence, Prevention of Food adulteration, Unauthorized Construction on Government land

RTI - Application No. 2014/230 **Date of Posting** 15/05/2014

SPEED POST

सेवा में

सी./पी.आई.ओ. महोदय

CPIO

Department of Publication

Civil Lines.

DELHI-110054

"Page 01 of 02"

प्रकाशन विभाग 2147 16-5-14

757 / 16/5

(14)

16/5/14

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप की सेवा में आर.टी.आई. आवेदन प्रस्तुत है ।

(1) महोदय

उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने हेतू आर.टी.आई. आवेदन प्रस्तुत है ।

(2) (i) आर.टी.आई. शुल्क रुपये ...दस....... का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 21F:987951 दिनांक 14/05/14.. संग्लन है भुगतान कालम रिक्त है इस कालम को सी./पी.आई.ओ. महोदय का कार्यालय स्वयं भरने का कष्ट करें ।

(ii) अतिरिक्त शुल्क रुपये ...दस....... का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 21F:987943 दिनांक 14/05/14..... माँगी गई सत्यापित छांयाप्रतिया आदि के सम्बन्ध में संग्लन है । भुगतान कालम रिक्त मै सी./पी.आई.ओ. महोदय का कार्यालय स्वयं भरने का कष्ट करें ।

(3) *मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी से माँगी गई सूचना-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है । यह आप के विभाग / कार्यालय से सम्बन्धित है ।*

(4) सी./पी.आई.ओ. महोदय का विवरण :

(i) सी./पी.आई.ओ. महोदय का पद व कार्यालय : C.P.I.O. Department of Publication Civil Lines Delhi-110054

(ii) आर.टी.आई. प्रस्तुत करने की तिथि : Dated- 15/05/2014

SPEED POST

15/05/14

(6) माँगी गई सूचना का ब्यौरा विवरण नीचे है ।

(I)- प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, प्राइवेट फर्म के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पब्लिक नोटिस छपवाने के क्या-क्या नियम हैं। इस की सत्यापित प्रतियों की प्रति प्रदान करके सूचना प्रति प्रदान करें। —

(7) आर.टी.आई.आवेदक का विवरण :

(i) आर.टी.आई आवेदक का नाम : अनवर खान

(ii) आर.टी.आई आवेदक का पद व कार्यालय : मुख्या-काऊन्सीलिंग अधिकारी
एन.आई.बी. / नई दिल्ली-110062

(iii) आर.टी.आई आवेदक का पत्राचार का पता :

ANWAR KHAN
Cheif Counseling Officer
RTI Counseling Centre, NIB / Post Box No. 11658,
Post Office Pushpa Bhawan, New Delhi-110062

भवदीय

15/05

(ANWAR KHAN)
RTI-Activist
Dated. 15/05/2014

भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

सं. ओ.एण्ड एम./20011/2013 दिनांक 13 जून 2014

श्री अनवर खान, चीफ काउंसलिग आफिसर
आर टी आई काउंसलिग सेन्टर
एन आई बी पोस्ट बाक्स नम्बर 11658
पोस्ट आफिस पुष्प भवन नई दिल्ली 110062

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना ।

महोदय,

आपके दिनांक 15-5-2014 का आवेदन सं. 2014/230 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस विभाग में दिनांक 16-05-2014 को प्राप्त हुआ । प्राईवेट फर्म के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में पब्लिक नोटिस (सार्वजनिक सूचना) छपवाने के नियम निम्नलिखित है :-

1. दैनिक अखबार में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में कम्पनी के बारे में पूर्ण जानकारी सहित विज्ञापन का पूरा पृष्ठ संलग्न करें ।
2. 10 रू. के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो ।
3. साधारण कागज पर (ए 4 साइज) में 2 सार्वजनिक सूचना का मेटर टाइप किया हुआ हस्ताक्षरित व दो गवाह के हस्ताक्षर, नाम व पता सहित भेजे ।
4. सार्वजनिक सूचना का मामला सीडी में विवेक, चाणक्य या कृतिदेव (फोन्ट 12 साईज) में भेजे । अन्य किसी फोन्ट में भेजी गई सीडी मान्य नहीं होगी । अंग्रेजी का मेटर **M S Word** में भेजे ।
5. अपने लेटर हेड के कागज पर एक सर्टिफिकेट भेजे की सीडी व ए 4 साईज में भेजा गया मसौदा एक समान है व किसी भी त्रुति के लिए आप स्वमं जिम्मेवार है ।

कृपया यह भी बताये कि किस कानून के आधार पर यह मसौदा राजपत्र के प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाना है तथा यह भी बताये कि राजपत्र में मसौदा प्रकाशन हेतु आदेश किस सरकारी विभाग द्वारा दिया गया है उसकी एक प्रमाणित छाया प्रति भी अवश्य भेजे ।

6. प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट 2600/- रू आधा पृष्ठ का या 3500/- रू पूरा पृष्ठ प्रत्येक भाषा के लिए एक प्रति राजपत्र प्राप्त करने हेतु भेजे या यदि आप स्वयं आते है तो नकद भुगतान भी कर सकते हैं।

इस मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी संयुक्त सचिव एवं प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 है ।

भवदीय,
13/6
(ए. के. सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

13/6
13/6/14